

II 12/14

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/9/23	<p>पञ्चावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उच्च व्यस्तता के कारण आदेश सुनाया नहीं जा सका। पञ्चावली आदेश हेतु डिनं 27/9/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>
	27/9/23	<p>पञ्चावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उच्च व्यस्तता के कारण आदेश सुनाया नहीं जा सका। पञ्चावली वास्ते आदेश हेतु डिनं 6/10/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>
	6/10/23	<p>पञ्चावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 उच्च अप्रार्थी सं. 3 व 5 अनुपस्थित अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध डिनं 20/11/23 को एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को इसी न्यायालय द्वारा जारी आर्चाई मिषेधाना डिनं 21/10/23 से ता-फैसला दावा Absolute स्थाई किया जाता है। सुनाया गया। पञ्चावली नम्ब्रा से कम होकर काद तकमीरू मूल गइके साथ संलग्न हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>